संख्या- /X-2-2013-12(35)/2012

मनोज चन्दन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 19 दिसम्बर, 2013

विषयः- वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 के राज्य सेक्टर के आयोजनागत पक्ष की पूंजीगत योजना "इको टूरिज्म" में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के प0सं0 नि-238/3-5(रा0सै0-इको टूरिज्म) दि0-07 अगस्त, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अनुदान सं0-27 के अन्तर्गत पूंजीगत पक्ष में "इको टूरिज्म" योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित आय-व्ययक ₹ 50,00,000/- (₹ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष पूंजीगत पक्ष में ₹ 50,00,000/- (₹ पचास लाख मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों हेतु व्यय किये जाने के लिये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है :-

1. उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0-413/XXVII (1)/2013 दिनांक 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों एवं बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्योरमेंट) नियमावली, 2008 तथा अन्य सुसंगत नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यदि स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य समक्ष प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगंणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी तथा सम्बन्धित प्रभाग/कार्यालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि व कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व ₹ 5 लाख से अधिक लागत के कार्यों के आंगणनों का टी0ए0सी0 से परीक्षण करायेंगे तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत समस्त कार्यों की सक्षम स्तर से प्राविधिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जाय।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
6. आगंणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. संलग्न विवरणानुसार उल्लिखित कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित कार्य विभागीय अन्य योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत नहीं है, यदि कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत है तो कार्य के सापेक्ष व्यय एक ही योजना के अन्तर्गत की जाय तथा दूसरी योजना में प्रदत्त स्वीकृति को निरस्त कर यथासमय शासन को सूचित किया जाय।
10. स्वीकृत कार्यों हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के उपरान्त यदि धनराशि की बचत होती है तो बचत की धनराशि से यथासमय शासन को सूचित किया जाय। संलग्न विवरण में उल्लिखित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेड्यूल आफ रेट्स के आधार पर विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम स्तर से अनुमोदनापरान्त इन कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

क्रमशः.....2

11. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
12. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण निर्धारित बी0एम0-प्रपत्र पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
13. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दि0-31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
15. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1312270142 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे।
16. निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथावश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)2011, दि0 8 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वेबसाइट www. ua.nic.in तथा विभाग की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा।

2- उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या-27 के लेखा शीर्षक 4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 800- अन्य व्यय 09-00 इको टूरिज्म-मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु Online Budget Allotment की हार्ड कॉपी भी संलग्न की जा रही है।

3- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013 दि0 30 मार्च, 2013 एवं शासनादेश सं0-413/XXVII(1)/2013 दि0 10 जून, 2013 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

संलग्नक - यथोक्त।

4588

संख्या- (1)/X-2-2013, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार(ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
11. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

(मनोज चन्दन)
अपर सचिव

4588 19

शासनादेश संख्या IX-2-2013-12-(35)2012 दि0 दिसम्बर, 2013 का संलग्नक

आयोजनागत पक्ष की पूंजीगत योजना "ईको टूरिज्म" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपलब्ध बजट के सापेक्ष मानक मद24 (वृहद् निर्माण कार्य)/प्रभागवार वित्तीय स्वीकृति

क्र0 सं0	वन प्रभाग का नाम	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित धनराशि
1	मसूरी वन प्रभाग	धनोल्टी ईको पार्क में हट निर्माण बैम्बू	2000
		डोरमैट्री 20 बैड वाला	900
		ईको समिति का कार्यालय व स्टोर निर्माण	500
		ट्री हाउस	200
		पक्षी अवलोकन हेतु नेचर ट्रैल विकसित करना	400
2	राजाजी राष्ट्रीय पार्क	कुनाव वन विश्राम भवन का जीर्णोद्धार	1000
	योग		5000

(मनोज चन्द्रन)
अपर सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20132014

Secretary, Forest (S016)

4588

आवंटन पत्र संख्या - /X-2-2013-12(35)/2012

अलोटमेंट आई डी - S1312270142

अनुदान संख्या - 027

आवंटन पत्र दिनांक -16-Dec-2013

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

00 - इको टूरिज्म

01 - वानिकी

09 - इको टूरिज्म

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	5000000	5000000
	0	**5000000**	**5000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 5000000